JALAUN POLICE

दिनांक – 18.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- वादी शरीफ खांन पुत्र महबूब खान नि0ग्राम कुकरगांव कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा कोतवाली उरई में तहरीरी सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी व कूटरचित वित्त संस्था स्थापित कर वादी से धोखाधड़ी कर रुपये जमा करवा लेना व फर्जी बॉण्ड तैयार करना। जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 706/2016 (वाद संख्या 1290/2016, 3613/2017) धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम 1- रमनदीप सिंह पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह निवाली फ्लैट नं0 3 सेवा पार्क द्वारिका रोड थाना द्वारिका नई दिल्ली 2. करुणेश शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी 6/1280 पुराना माधौनगर कोतवाली व जनपद सहारनपुर हाल निवास तुलसीनगर कोतवाली उरई जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 02.08.2016 को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 18.08.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 18.08.2025 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण रमनदीप व करुणेश को दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,500-7,500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।